पेशी दिनांक 20/4/22 को पेश हो।

20/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां से जवाब प्राप्त नही हुआ है। तहसीलदार नैनवां का जवाब बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी को बचपन में हरिशंकर के नाम से जाना जाता था। प्रार्थी के हरिशंकर व शंकर दोनो नाम है। प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व ग्राम कचरावता की जमाबंदी में शंकर नाम दर्ज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में हरिशंकर के स्थान पर शंकर दर्ज कर जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, ग्राम पंचायत कचरावता का प्रमाण पत्र आदि पेश किये। प्रतिवादी/अप्रार्थी आशाराम ने भी इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नैनवां I पटवार मण्डल नैनवां की जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता सं. 850 की खसरा सं. $\frac{5157}{0-05}$ तथा खाता सं. 849 की खसरा सं. $\frac{5150}{3-00}$, $\frac{5151}{0-15}$, $\frac{5152}{9-00}$, $\frac{5154}{2-00}$, $\frac{5155}{0-04}$, $\frac{5156}{0-05}$, $\frac{5153}{0-15}$ कुल किता 8 [illegible] बीघा 10 बिस्वा भूमियों में [illegible] के स्थान पर "शंकर" दर्ज कर [illegible] रिकार्ड में आवश्यक संशोधन कि[illegible] जाने के आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:53:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया व लिखाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:53:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner